दिनांक–15.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के अरवल एवं समस्तीपुर जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से क्रमशः 04 एवं 05 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की अरवल जिले में वर्ष 2018–19 की 02, 2019–20 की 01 एवं 2020–21 की 01 तथा समस्तीपुर जिले में 2014–15 की 04, 2015–16 की 01 एवं 2018–19 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

Post CFMS Period में कुल 140.77 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) समस्तीपुर जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वॉ वित्त आयोग संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 380.57 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता, ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की नियत फीस एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में Allotment No. 16(AA) दिनांक– 19.07.2026 द्वारा DDC कार्यालय को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायी राशि से संबंधित लगभग 0.32 एवं 6.32 लाख रूपये की UC लंबित है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 1399 एवं 7132 लक्ष्य के विरूद्ध 821 एवं 5703 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 722 एवं 4416 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल एवं समस्तीपुर)

लगातार.....

V. **मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक अरवल एवं समस्तीपुर जिले में क्रमशः कुल 438 एवं 1850 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 438 एवं 1729 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 36 एवं 68 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

VI. **जन–शिकायत–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 10 एवं 30 मामलों के विरूद्ध 04 एवं 06 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

VII. **CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 01 एवं 13 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में तीन बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

VIII. **पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल जिले में जुन, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 में क्रमशः 19, 09, 01 एवं 17 Aspiration लंबित है। सितम्बर माह में 14 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

समस्तीपुर जिले में जुन, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 में क्रमशः कुल 132, 49, 44 एवं 73 Aspirations लंबित है। सितम्बर माह में 12 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए।

लगातार.....

सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।
(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

IX. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

01. अरवल– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 30 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध सभी 30 का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 30 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 30 में RTPS केन्द्र, 23 में विद्युत कनेक्शन, 10 में डाकघर, 05 में NOFN एवं 06 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। केवल 17 PSB में सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 30 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 20 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।
(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 08 PSB के विरूद्ध 05 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। चौहर पंचायत में प्रथम तल की छत ढलाई एवं खजुरी पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर का ही कार्य किया गया है। सोहसा पंचायत में PSB फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

लगातार.....

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 02 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से किसी का भी निराकरण नहीं हुआ है। पहलेजा पंचायत में जिला पदाधिकारी के स्तर से निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। करपी पंचायत में Site Shifting का मामला है। निदेश दिया गया कि DPRO अपने स्तर से निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(घ) मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 14180 दिनांक– 05.10.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनो में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश संसूंचित किया गया है। उक्त के आलोक में DPRO को निदेश दिया गया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

02. समस्तीपुर– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 174 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 164 का हस्तांतरण हो चुका है। बिठान, हसनपुर, सरायरंजन एवं विद्यापति नगर प्रखंड में 01–01, मोरवा प्रखंड में 02 एवं मोहिउद्दीनगर प्रखंड में 03 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 160 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 160 में RTPS केन्द्र, 157 में विद्युत कनेक्शन, 78 में डाकघर, 11 में NOFN एवं 74 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 174 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 114 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। बिठान एवं सिंघिया प्रखंड में शून्य तथा मोरवा प्रखंड में मात्र 01 CA No की Entry की गयी है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। DPRO को निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडो के BPRO से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया जाए। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में

लगातार.....

Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 20 PSB के विरूद्ध 16 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वासुदेवपुर पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं चकलेवानी पंचायत में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। 02 पंचायतों में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 34 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 02 का ही निराकरण हुआ है। 11 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल पर 15–20 फीट गड्ढा है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतो में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। जिन पंचायतो में समस्या का निराकरण हो चुका है, वहाँ संबंधित BPRO स्थल भ्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 27 भूमि प्राप्त पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 27 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 17 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 09 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

(ड़) मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 14180 दिनांक– 05.10.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनो में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में DPRO को निदेश दिया गया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

X. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–**

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल जिले में अद्यतन स्थिति तक 64 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 10 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 10 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 08 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से मात्र 03 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। केवल 01 पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समस्तीपुर जिले में अद्यतन स्थिति तक 346 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 32 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 32 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 32 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है परंतु मात्र 01 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

XI. **मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–**

01. **अरवल– (क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 55 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 14, पंचायत समिति में 07 एवं ग्राम पंचायत में 13 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

02. समस्तीपुर– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 346 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 171 मुक्तिधाम/शमशान

लगातार.....

चिन्हित किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। खानपुर एवं मोरवा प्रखंड में दिनांक– 01.04.2026 से अबतक शून्य अंत्येष्टि प्रतिवेदित है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। DPRO को निदेश दिया गया कि इस संबंध में खानपुर एवं मोरवा प्रखंड के BPRO से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 04, पंचायत समिति में 32 एवं ग्राम पंचायत में 53 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

XII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

01. अरवल – (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	42.98%
02	पंचायत समिति	77.34%
03	ग्राम पंचायत	60.03%

(ख) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 469 के विरूद्ध 153, पंचायत समिति में 864 के विरूद्ध 01 एवं ग्राम पंचायत में 3690 के विरूद्ध 128 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ग) यह भी पाया गया है कि अरवल जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

लगातार.....

2. DDC एवं DPRO अरवल जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

02. समस्तीपुर– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	32.32%
02	पंचायत समिति	72.66%
03	ग्राम पंचायत	69.34%

दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1153 के विरूद्ध 54, पंचायत समिति में 2431 के विरूद्ध 198 एवं ग्राम पंचायत में 17077 के विरूद्ध 1243 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ग) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 03 Schemes ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(घ) यह भी पाया गया है कि समस्तीपुर जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. दलसिंहसराय प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षो से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
3. DDC विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।
4. DDC एवं DPRO अरवल जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर)

लगातार.....

XIII. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

01. अरवल– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	52.66%
पंचायत समिति	74.31%
ग्राम पंचायत	78.28%

(ख) करपी प्रखंड में 08, अरवल एवं कलेर प्रखंड में 04–04 एवं कुरथा प्रखंड में 02 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 413 के विरूद्ध 34, पंचायत समिति में 313 के विरूद्ध 137 एवं ग्राम पंचायत में 1211 के विरूद्ध मात्र 568 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80–85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए तथा विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल)

02. समस्तीपुर– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	17.23%
पंचायत समिति	45.44%
ग्राम पंचायत	34.87%

ताजपुर प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ख) कल्याणपुर प्रखंड में 13, मोहनपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर, सरायरंजन, सिंघिया, उजियारपुर एवं वारिसनगर प्रखंडों में 02–02, खानपुर, मोरवा, हसनपुर, दलसिंहसराय, बिठान, विभूतिपुर एवं पूसा प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 271 के विरूद्ध 00, पंचायत समिति में 872 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 4864 के विरूद्ध मात्र 42 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80–85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. ताजपुर प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें। कल्याणपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी राशि की जाँच विभाग स्तर की जाए।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं प्रशाखा–11)

XIV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक अरवल जिले में 100% लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है।

साथ ही अरवल एवं समस्तीपुर जिले में CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 790 एवं 194 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल जिले के करपी प्रखंड में एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी मात्र 17% राशि का भुगतान किया गया है। कलेर प्रखंड में एजेंसी द्वारा Bill Submit नहीं किया गया है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल में 67% एवं समस्तीपुर जिले में 55% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 14.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में क्रमशः 87% एवं 81% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

लगातार.....

साथ ही यह भी पाया गया कि अरवल जिले के सोनभद्र बंसी सूर्यापुर प्रखंड के BPRO द्वारा सोलर लाईट का निरीक्षण नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. निदेश दिया गया कि यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा सहरसा एवं मुंगेर जिले में Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अरवल जिले के सोनभद्र बंसी सूर्यापुर प्रखंड के BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ सभी BPRO प्रत्येक माह कम से कम 30 लाईटो का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर एवं प्रशाखा–11)

XV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

XVI. लंबित न्यायिक वाद :–

अरवल एवं समस्तीपुर जिले में क्रमशः 02 एवं 08 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर एवं प्रशाखा–9)

XVII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल एवं समस्तीपुर जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन

लगातार.....

ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

XVIII. विधान सभा/परिषद–

अरवल एवं समस्तीपुर जिले में क्रमशः 06 एवं 21 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर एवं प्रशाखा–09)

XIX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। अरवल एवं समस्तीपुर जिले में भी क्रमशः 26 एवं 78 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15593/पं०रा० पटना, दिनांक 3/11/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल एवं समस्तीपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर /अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15593/पं०रा० पटना, दिनांक 3/11/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

लगातार.....

1593

ज्ञापांकः—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 3/11/2026

प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी